Hindi

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क़ानून

HEALTH AND SAFETY LAW

आपको जिसे जानने कि ज़रूरत है

काम के स्थान पर आपका स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण क़ानून द्वारा सुरक्षित है।

आपके नियोक्ता का कर्त्तव्य है कि वह आपको सुरक्षा दे और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा-संबंधी सूचना देता रहे।

अपनी और दूसरों की देखभाल करना आपका उत्तरदायित्व है।

यदि कोई समस्या हो, तो अपने नियोक्ता या यदि हो, तो अपने सुरक्षा प्रतिनिधि से चर्चा कीजिए।

यह पत्रक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क़ानून को समझने के लिए एक संक्षिप्त गाइड है। यह क़ानून का विस्तृत वर्णन नहीं करता है, पर उसके मुख्य बिन्दुओं की सूची अवश्य ही प्रस्तुत करता है।

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर अधिक विस्तृत मार्गनिर्देश के लिए HSE (एच एस ई) के दाम देकर ख़रीदे जाने वाले प्रकाशन पढ़िए, जैसे कि :

Essentials of health and safety at work HSE Books ISBN 0 7176 0716 X;

और मुफ़्त पत्रक देखिए जैसे कि :

An introduction to health and safety INDG259 HSE Books.

एच एस ई प्रकाशनों के पूरे विवरण एच एस ई की वैबसाइट पर देखे जा सकते हैं जिसका पता है :
http://www.open.gov.uk/hse/hsehome.htm

एच एस ई के सभी प्रकाशन इस पते से उपलब्ध हो सकते हैं :
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA
टेलिफ़ोन : 01787 881165 फ़ैक्स : 01787 313995.

एच एस ई के दाम देकर ख़रीदे जाने वाले प्रकाशन, किताबों की अच्छी दुकानों से भी ख़रीदे जा सकते हैं।

हैल्थ एण्ड सेफ़्टी एग्ज़ेकेटिव द्वारा 1 अक्तूबर 1999 को स्वीकृत
Approved by the Health and Safety Executive 1 October 1999

4/00 C3750
Printed and published by the Health and Safety Executive

क़ानून के अनुसार, आपके नियोक्ता का यह कर्त्तव्य है कि जहाँ तक विवेकपूर्ण तरीक़े से संभव हो, काम की जगह पर उसे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुरक्षित करना चाहिए।

काम की जगह से जुड़े मामलों के बारे में आपके नियोक्ता को अवश्य ही आपसे और आपके सुरक्षा प्रतिनिधि से सलाह लेनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल है :

- कोई परिवर्तन जो काम के स्थान पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को काफ़ी हद तक, प्रभावित कर सकते हों, उदाहरणार्थ, कार्यप्रणालियाँ, उपकरण या काम करने के तरीक़े ;
- नियोक्ता के प्रबंध ताकि उसे स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के क़ानूनों का पालन करने में मदद देने के लिए योग्य लोग मिल सकें ;
- आपके काम से पैदा होने वाले संभावित ख़तरे तथा जोखिम, इन ख़तरों को घटाने या हटाने के क़दम और किसी ख़तरे या जोखिम से निपटना पड़े, तो आपको क्या करना ज़रूरी होगा, इन सब की जानकारी आपको देना ;
- स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियोजन ; और
- नई तकनॉलोजी आरम्भ करने के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़े परिणाम।

सामान्य आधार पर, आपके नियोक्ता के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- **आपके काम के स्थान को सुरक्षित तथा स्वास्थ्य-संबंधी ख़तरों से मुक्त बनाना** ;
- **सुनिश्चित करना कि संयंत्र तथा मशीनें सुरक्षित हों और सुरक्षित कार्य के तरीक़े तय हों और उनका पालन किया जाए** ;
- **सुनिश्चित करना कि वस्तुओं तथा तत्वों को सुरक्षित तरीक़े से हटाया, भंडार में रखा और काम में लाया जाए** ;
- **कल्याण की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ** ;
- **आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आपको ज़रूरी जानकारी, निर्देश, प्रशिक्षण तथा निगरानी उपलब्ध कराना।**

विशेषकर आपके नियोक्ता को अवश्य ही :

- आपके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़े **ख़तरों का मूल्यांकन करना होगा।**
- मूल्यांकन द्वारा पहचाने गए ज़रूरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के क़दमों को उठाए जाने के लिए **प्रबन्ध करना होगा** ;
- अगर पाँच या इससे ज़्यादा कर्मचारी हों, तो ख़तरे के मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण परिणामों और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़े **क़दमों के प्रबंधों को रिकॉर्ड करना होगा** ;
- अगर पाँच या इससे ज़्यादा कर्मचारी हों, तो वर्तमान में **लागू होने वाले** स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संगठन और प्रबन्धों समेत, **स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति का एक बयान** तैयार करना होगा, और आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना होगा ;
- स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की ज़िम्मेदारियाँ निभाने में मदद देने के लिए **किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना** होगा, और आप या आपके सुरक्षा प्रतिनिधि से इस नियुक्ति के बारे में सलाह लेनी होगी ;
- अपने कार्य-स्थल के अन्य नियोक्ताओं को **स्वास्थ्य तथा सुरक्षा-सम्बंधी मामलों में अपना सहयोग देना होगा** ;
- **इमरजेंसी (आपातकालीन) कार्यप्रणालियाँ** स्थापित करनी होंगी ;
- **फ़र्स्ट-एड की पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध करना होगा** ;
- सुनिश्चित करना होगा कि **कार्य-स्थल स्वास्थ्य**, सुरक्षा तथा कल्याण की ज़रूरतें पूरी करता है, जैसे कि हवादारी, तापमान, रोशनी, गंदगी से स्वास्थ्य की सुरक्षा-संबंधी, धोने और विश्राम की सुविधाएँ ;
- सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ तक स्वास्थ्य व सुरक्षा का संबंध है, **काम के उपकरण उनसे लिए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त हैं**, और वे **उचित तरीक़े से इस्तेमाल होते हैं और उनका रखरखाव** भी उचित ढंग से होता है ;
- आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने की संभावना रखने वाले तत्वों पर **रोक लगाना या उनके सम्पर्क में आने पर पर्याप्त नियंत्रण रखना** ;
- ज्वलनशील ख़तरों, **बिजली के उपकरणों**, **शोर तथा रेडिएशन** (हानिकारक किरणों के प्रभाव) से बचने के लिए सुरक्षा के क़दम उठाना ;
- **हाथों के ज़रिए ख़तरनाक कार्य संचालन न करवाना** और जहाँ उससे बचा नहीं जा सकता, वहाँ चोट लगने के ख़तरे को घटाना ;
- **उपयुक्त स्वास्थ्य-सम्बंधी निगरानी** उपलब्ध कराना ;
- जहाँ ख़तरों को अन्य तरीक़ों से पर्याप्त रूप से नियंत्रित न किया गया हो, **वहाँ सुरक्षात्मक कपड़ों या उपकरणों को नि:शुल्क उपलब्ध कराना** ;
- सुनिश्चित करना कि उपयुक्त **सुरक्षा के संकेत उपलब्ध कराए गए हों और उनका रखरखाव होता रहे** ;
- स्वास्थ्य तथा सुरक्षा लागू करने वाले उपयुक्त अधिकारी (नीचे वाला बॉक्स देखिए कि ये किसके लिए है) से विशेष **चोट, रोग तथा ख़तरनाक घटनाओं की रिपोर्ट कीजिए।**

एक कर्मचारी के रूप में, आपके भी कुछ क़ानूनी कर्त्तव्य हैं। इनमें शामिल हैं :

- अपने ख़ुद के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की **विवेकपूर्ण देखभाल करना** और दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी देखभाल करना जो कि आपके कुछ करने या न करने से प्रभावित हो सकते हैं ;
- **अपने नियोक्ता को** स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संबंध में **सहयोग देना** ;
- आपके नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई **काम की सामग्री का सही उपयोग करना**, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण का प्रशिक्षण या निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करना शामिल है ; और
- **आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के लिए उपलब्ध कराई गई किसी भी वस्तु में दख़ल न देना न उसका दुरुपयोग करना।**

अगर आप समझते हैं कि आपके कार्य-स्थल में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में सबसे पहले अपने नियोक्ता, सूपरवाइज़र या मैनेजर से बात करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो संभव है कि आप इसके बारे में सुरक्षा के प्रतिनिधि से बात करना चाहें। आप, आपके नियोक्ता या सुरक्षा प्रतिनिधि को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में गोपनीय सूचना HSE Infoline (एच एस ई इंफ़ोलाइन) के इस नम्बर को मिलाकर मिल सकती है : 0541545500

अगर आप सोचते हैं कि आपका नियोक्ता आपको ख़तरे में डाल रहा है या अपने क़ानूनी कर्त्तव्य नहीं निभा रहा है, और आपके कहने के बावजूद, आपको इसके बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, तो आप अपने कार्य-स्थल के स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रबंध लागू करने वाले अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के इंस्पेक्टर्ज़ क़ानून के पालन के बारे में सलाह दे सकते हैं। उनके पास लागू करने के भी अधिकारी हैं। एच एस ई की Employment Medical Advisory Service (एम्पलॉयमेंट मेडिकल एड़वाइज़री सर्विस) काम की जगह पर स्वास्थ्य के बारे में सलाह दे सकती है। आपके नियोक्ता उनके नाम और पते आपको दे सकते हैं।

सामान्य अग्नि-सुरक्षा इत्यादि पर आपको फ़ायर ब्रिगेड या अपने फ़ायर ऑफ़िस से सलाह मिल सकती है।